(242)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय संभाग रीवा (म.प्र.)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रकरण क्रमांक– R-2592-I/12

क्रमांक 2088 आज दिनांक 26.7.12 को प्राप्त

रामजी तनय नथई साहू निवासी ग्राम– महुआगांव, तह0– देवसर, जिला– सिगरौली (म.प्र.) ———— निगरानीकर्ता

बनाम

श्यामलाल तनय दलवीर साहू निवासी ग्राम– महुआगांव, तह0– देवसर, जिला– सिगरौली (म.प्र.) ———— गैरनिगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अधिवक्ता श्री ... पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि० 9.7.2012

9.7.12

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र0क्र0 236/निगरानी/10–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक– 29.12.11

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित हैः–

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा आराजी खसरा क्रमांक– 1387 के अंश रकवा 0.01 है0 स्थित ग्राम– महुआगांव से निगरानीकर्ता को बेदखल किये जाने हेतु म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा– 250 के तहत अधीनस्थ नायब तहसीलदार वृत्त धौंहनी, तह0– देवसर, के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विधिसंगत आदेश दिनांक– 09.03.09 जारी किया जाकर अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात् गैरनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) देवसर, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) के समक्ष उक्त आदेश दिनांक– 09.03.09 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक– 31/अपील/08–09 दायर किया जिसमें अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक– 29.09.10 पारित किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता की उक्त अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधिवत उभयपक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य तथा स्थानीय जांच के पश्चात् गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित किया जाय।

(405)

(242)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2592-I / 12 जिला सिंगरौली

रामजी साहू / श्यामलाल साहू

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदेव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 263 / निगरानी / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.12.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

पारित किया जाय।